



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-208 राँची, शुक्रवार, 28 फाल्गुन, 1942 (श०)
19 मार्च, 2021 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

संकल्प

19 मार्च, 2021

विषय:- राज्य के तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित उम्मीदवार (लघु अवधि/दीर्घ अवधि) जो किसी भी रोजगार/स्वरोजगार से नहीं जुड़े हो, को सहायता के रूप में नियत राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2020-21 से नई योजना "मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना" के कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

पत्रांक-5/स्था.(नि.)/यो.-1001/2020- 273(नि.)-- राज्य सरकार, राज्य में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित एवं वचनबद्ध है। इसे दृष्टिगत रखते हुए शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं, जो किसी भी कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, आईटीआई, पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण एवं राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित हों, को एक (01) वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से नई योजना "मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नई योजना का स्वरूप निम्न प्रकार से है:-

योजना का उद्देश्य:- राज्य के शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं जो किसी भी कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, आईटीआई, पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण एवं राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित हो, को रोजगार से जुड़ने एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराना है।

योग्यता:-

- राज्य के विभिन्न विभागों¹ द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आईटीआई, सरकारी पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो National Skill Qualification Framework (NSQF) से aligned हो, से उत्तीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए।

¹विभिन्न विभाग:- (i) ग्रामीण विकास विभाग, (ii) उद्योग विभाग, (iii) नगर विकास एवं आवास विभाग, (iv) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, (v) पर्यटन, कला, खेलकूद एवं युवा मामले विभाग, (vi) महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, (vii) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, (viii) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा (ix) श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

2

पात्रता:-

- आवेदक बेरोजगार होना चाहिए (अर्थात् आवेदक न तो सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र से जुड़े हों और न ही स्वरोजगार से जुड़े हों)।
- आवेदक झारखण्ड के नियोजनालय में निबंधित होना चाहिए।
- योजना हेतु चिन्हित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ हेतु किसी प्रकार का दोहरीकरण न हो।
- झारखण्ड राज्य के निवासी/ अधिवास (domicile) हो।
- स्वयं का वैध बैंक खाता/ आधार कार्ड हो।
- वह किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो, जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।
- नियोजनालय में निबंधन की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उम्र-सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी)।

प्रोत्साहन राशि:-

- उपर्युक्त अर्हताधारी आवेदकों के लिए ₹0 5,000/-प्रति वर्ष, एक वर्ष के लिए

(विधवा/परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों के लिए राशि 50% अतिरिक्त होगी)।

योजना का क्रियान्वयन:- “मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना” हेतु जिस विभाग से पात्रता पूर्ण करने वाले आवेदक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उस विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि पात्रता रखने वाले आवेदकों से विहित प्रपत्र (Annexure-I) में आवेदन प्राप्त कर इसकी सूची (आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, सर्टिफिकेट एवं अन्य पात्रता के बिन्दुओं का दस्तावेज सहित) soft एवं hard copy में अनुशंसा सहित जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिला स्तरीय समिति पात्रता के आलोक में निर्णय लेगी कि आवेदक की योग्यता सही है अथवा नहीं। जिला स्तरीय समिति किसी आवेदक का दोहरीकरण नहीं हो, इसकी भी जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे। योग्य आवेदक के खाते में राशि उपलब्ध कराने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी जिला स्तरीय समिति की होगी। जिला स्तरीय समिति, स्वीकृत आवेदकों की सूची (आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, सर्टिफिकेट एवं अन्य पात्रता के बिन्दुओं का दस्तावेज सहित) soft एवं hard copy में संबंधित नियोजनालय के पदाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। संबंधित नियोजनालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार के माध्यम से चयनित आवेदकों के बैंक खाता में राशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

निबंधन वरीयता में एक ही तिथि को निबंधित आवेदकों के चयन में समस्या आने पर निम्नांकित प्रक्रियाएँ अपनाई जाएंगी:-

- (क) जिस उम्मीदवार की उम्र ज्यादा होगी उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा।
- (ख) यदि एक ही जन्म तिथि के कई उम्मीदवार हों तो वैसी स्थिति में वांछनीय योग्यता पहले प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (ग) जिला जाँच समिति आश्यकतानुसार आवेदक के मूल अभिलेखों का भौतिक सत्यापन भी कर सकती है।

3

जाँच कमिटी निम्नवत् गठित की जायेगी:-

- | | |
|---|--------------|
| • उपायुक्त | - अध्यक्ष |
| • उप विकास आयुक्त | - सदस्य |
| • जिला नियोजन पदाधिकारी/ नियोजन पदाधिकारी | - सदस्य सचिव |
| • जिला कौशल पदाधिकारी | - सदस्य |
| • जिला शिक्षा पदाधिकारी | - सदस्य |

सहायता राशि के भुगतान संबंधी कार्यों का अनुश्रवण संबंधित जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी (जिस जिले में एक से ज्यादा नियोजन पदाधिकारी हो वहाँ के संबंधित सहायक निदेशक (नियोजन) किसी एक नियोजन पदाधिकारी को नामित करेंगे) के द्वारा किया जाएगा।

प्रोत्साहन राशि हस्तान्तरण की प्रक्रिया:-योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि, जाँच कमिटी द्वारा चयनित आवेदकों को उपलब्ध कराने हेतु सभी नियोजनालयों को उपलब्ध बजट प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की जाएगी। नियोजनालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि चयनित आवेदकों को अनुमान्य राशि का भुगतान नियमानुसार कोषागार के माध्यम से उनके बैंक खाता में ससमय हो जाय।

योजना में संशोधन करने की शक्तियाँ-

इस योजना में संशोधन करने की शक्तियाँ सरकार में निहित होंगी।

लाभार्थियों का ब्यौरा प्रदर्शित करना-

जनता की सूचना के प्रयोजनार्थ नियोजन कार्यालय के सूचना पट, विभागीय वेबसाईट तथा अन्य उपयुक्त स्थल पर लाभार्थियों का ब्यौरा प्रदर्शित किया जा सकता है।

3. यह योजना संकल्प निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा।

4. योजना का कार्यान्वयन एवं संचालन निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची के स्तर से किया जाएगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-12.03.2021 की बैठक में मद सं0-15 में दी गई है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव

Annexure-I**"मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना" के तहत सहायता राशि प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र
(विहित प्रपत्र)**

आवेदक/आवेदिका का नाम:-

पिता/पति का नाम:-

माता का नाम:-

जन्म तिथि:-

(नोट- नियोजनालय में निबंधन की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष) (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उम्र सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।)

लिंग (पुरुष/महिला):-

कोटि:-

विशेष कोटि (विधवा/परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांग):- हाँ/नहीं (यदि हाँ साक्ष्य संलग्न करें)

नियोजनालय का नाम/निबंधन संख्या एवं निबंधन की तिथि:-

स्थायी पता (पिन कोड सहित):-

वर्तमान पता (पिन कोड सहित):-

निवास/अधिवास (domicile) (यदि हाँ तो सक्षम स्तर पर निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न):- हाँ/नहीं

मोबाईल सं.:-

ई-मेल:-

आधार सं.:-

आधार लिंक बैंक खाता सं.:-

बैंक का नाम:-

IFSC कोड:-

शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न):-

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण वर्ष एवं माह	प्राप्तांक	प्रतिशत	विषय

तकनीकी योग्यता :- राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आईटीआई, सरकारी पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो National Skill Qualification Framework (NSQF) हो, से उत्तीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए (प्रमाण पत्र संलग्न):-

शपथ-पत्र

1. झारखण्ड राज्य के निवासी/अधिवास (domicile) हूँ।
2. किसी रोजगार/स्वरोजगार से नहीं जुड़ा हूँ।
3. किसी न्यायालय से किसी अपराध में सजा प्राप्त नहीं किया हूँ।

मैं, ..., प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी शत प्रतिशत सही है। यदि गलत पाया गया तो मेरे उपर न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर
